No. K-11011/1/2023-CB-Part(1)
Government of India
Ministry of Panchayati Raj

11th Floor, Jeevan Prakash Building
25 Kasturba Gandhi Marg, New Delhi
Dated:26th October, 2023

Subject: Minutes of the Fifth Central Empowered Committee Meeting of Revamped Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA) for the Financial Year 2023-24 held on 17th October, 2023- regarding.

Please find attached herewith a copy of the minutes of fifth Central Empowered Committee Meeting of Revamped Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA) for the Financial Year 2023-24 held on 17th October, 2023 under the Chairmanship of Secretary, Ministry of Panchayati Raj for information and necessary action.

Pankaj

(Pankaj Kumar)
Under Secretary to the Government of India
Tel: 011-23753817

To,

i. The members of the Committee
ii. To all concerned State Government (Assam, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Telangana, Tripura, Sikkim, Maharashtra, Gujarat, Uttarakhand and West Bengal)
iii. FD (Division)

Copy to.

NIC to upload on the website

Panchayati Raj

17 अक्टूबर, 2023 को आयोजित पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की 5वीं केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) की बैठक का कार्यवृत्त

वर्ष 2023-24 के लिए संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) की 5वीं बैठक 17 अक्टूबर, 2023 को सचिव, पंचायती राज मंत्रालय की अध्यक्षता में 9वीं मंजिल, जीवन भारती बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली में आयोजित की गई। प्रतिभागियों की सूची अनुलग्नक-ए में दी गई है।

2. पंचायती राज मंत्रालय के सचिव और सीईसी के अध्यक्ष, सीईसी के सदस्यों और राज्य के प्रतिनिधि का स्वागत करते हुए, पंचायती राज मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने बैठक के एजेंडे पर संक्षेप में प्रकाश डाला।

एजेंडा नंबर 1: ई.आर. और कार्यकर्ताओं के लिए प्रबंधन/नेतृत्व विकास कार्यक्रम के लिए परियोजना

1.1 पृष्ठभूमि: संशोधित आरजीएसए योजना का एक उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर) की नेतृत्वकारी भूमिका के लिए क्षमता विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना है, ताकि पंचायतें सरकार के तीसरे स्तर के रूप में प्रभावी ढंग से काम कर सकें। ऐसी पहलों के लिए, योजना में पीआरआई के लिए क्षमता निर्माण और सहायता का समर्थन करने के लिए शैक्षणिक संस्थान/उत्कृष्टता संस्थान के साथ सहयोग का प्रावधान किया गया है।

1.2 तर्क: ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा भारी मात्रा में धन खर्च किया जा रहा है, जो मुख्य रूप से पंचायतों के दायरे में आता है। उपलब्ध संसाधनों के प्रभावी उपयोग और **2023** के अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे को प्राप्त करने के लिए पंचायतों के माध्यम से कई नई पहल की जा रही हैं। इसलिए, यह आवश्यकता महसूस की जा रही है कि पंचायतों के ईआर को संसाधनों के प्रभावी उपयोग और अपनी अन्य अनिवार्य जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए नेतृत्व और प्रबंधकीय कौशल से पर्याप्त रूप से सुसज्जित किया जाए। पंचायतों के अधिकारियों/कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं को भी पंचायतों के मामलों के प्रभावी प्रबंधन और ईआर के साथ समन्वय में काम करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम होने की आवश्यकता है, जिसकी लगभग सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कमी है।

तदनुसार, मंत्रालय ने नेतृत्व क्षमता निर्माण के लिए ईआर, अधिकारियों/कर्मचारियों और पीआरआई/पंचायतों के कार्यकर्ताओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रमों की संकल्पना की है। नेतृत्व विकास कार्यक्रमों की परिकल्पना सामुदायिक नेताओं के कौशल और ज्ञान में सुधार के लिए एक मूल्यवान उपकरण प्रदान करने के लिए की गई है। ये कार्यक्रम देश भर में मौजूद विश्व स्तर पर प्रशंसित उत्कृष्टता संस्थानों द्वारा चलाए जाएंगे, जिनमें आईआईएम, आईआईटी, आईआरएमए आदि शामिल हैं।

1.3 अग्रणी प्रबंधन संस्थानों से परामर्श/प्रस्ताव हेतु अनुरोध: आवासीय (ऑन-कैंपस) और गैर-आवासीय कार्यक्रम के लिए प्रतिदिन की लागत का पता लगाने के लिए आईआरएमए, आईआईएम के साथ-साथ अन्य संस्थानों से प्रस्ताव/कोटेशन आमंत्रित किए गए थे। निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए।

क्र. सं	संस्थान	कार्यक्रम का नाम	प्रति प्रतिभागी प्रति दिन लागत आवास सहित (**INR**)	प्रति प्रतिभागी प्रति दिन लागत बिना आवास के (**INR**)
1	आईआईएम अहमदाबाद	रणनीतिक ग्रामीण परिवर्तन के लिए पंचायतों में नेतृत्व [लीप-स्टार्ट]	7811	6873
2	आईआईएम शिलांग	पंचायती राज संस्थाओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम	13000	9000
3	आईआईएम अमृतसर	ग्रामीण क्षेत्रों के लिए परिवर्तनकर्ता	10000	6000
4	आईआरएमए	परिवर्तन: जमीनी स्तर पर पंचायत अधिकारियों को सशक्त बनाना	12500	9500
5	आईआईएम बोधगया	प्रबंधन विकास	8333	3333
6	आईआईएम कलकत्ता	नेतृत्व और शासन पर कार्यक्रम	15000	12000

1.5 प्रस्ताव:

(i) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र उत्कृष्टता संस्थानों के सहयोग से ईआर, अधिकारियों/कर्मचारियों और पंचायतों के कार्यकर्ताओं के लिए नेतृत्व/प्रबंधन विकास कार्यक्रम शुरू करेंगे।

(ii) प्राप्त प्रस्तावों से यह देखा जा सकता है कि आईआईएम-अहमदाबाद द्वारा प्रस्तावित लागत प्रति बैच 60 प्रतिभागियों के लिए प्रति प्रतिभागी 7811 रुपये प्रति दिन सबसे कम है। तदनुसार, प्रति प्रतिभागी प्रति दिन कार्यक्रम लागत के लिए बेंचमार्क इस मूल्य पर निर्धारित करने का प्रस्ताव है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ऐसे संस्थानों के साथ लागत और बोर्डिंग और लॉजिंग सुविधाओं, मॉड्यूल, शिक्षाशास्त्र आदि के विवरण के लिए सीधे बातचीत कर सकते हैं और एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर सकते हैं।

(iii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 2023-24 के दौरान कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं और आरजीएसए के राज्य घटक के तहत आरजीएसए के मौजूदा घटकों से प्रति प्रतिभागी 7811 रुपये प्रति दिन तक की लागत को पूरा कर सकते हैं।

(iv) चूंकि यह नए प्रकार के हस्तक्षेपों में से एक है, इसलिए इसकी लागत को आरजीएसए के एक से अधिक घटकों को सम्मिलित करके पूरा किया जा सकता है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

क्र. सं	घटक	लागत मानदंड
1.	राज्य के भीतर एक्सपोजर विजिट या राज्य के बाहर एक्सपोजर विजिट	प्रति प्रतिभागी प्रति दिन 3500/- रुपये तक शेष राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लिए प्रति प्रतिभागी प्रति दिन 5000/- रुपये तक (अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के लिए प्रति प्रतिभागी प्रति दिन 7000/- रुपये तक)

2.	राज्य स्तर पर ई.आर., कार्यकर्ताओं, ससाधन व्यक्तियों, मास्टर प्रशिक्षकों आदि के लिए प्रशिक्षण।	प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन 2500/- रु.
	शेष राशि या तो 1. कार्यक्रम प्रबंधन (पीएम) से ली जा सकती है, जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के स्वीकृत योजना आकार का 1.5% है। या 2. आरजीएसए राज्य शेयर के अलावा राज्य बजट से।	

(iv) प्रतिभागियों के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार है:

क) आयु समूह 25-50 वर्ष के बीच होना चाहिए।

ख) शैक्षणिक योग्यता किसी भी विषय में न्यूनतम स्नातक होनी चाहिए।

ग) कार्यक्रम के लिए नामित निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर) के लिए अगले चुनाव के लिए कम से कम 1 वर्ष का कार्यकाल बचा होना चाहिए।

घ) क्षेत्रीय भाषा/अंग्रेजी की बुनियादी समझ।

(vi) वर्ष 2024-25 के लिए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने ए.ए.पी. के अंतर्गत ऐसे कार्यक्रम को शामिल कर सकते हैं, जैसा कि राज्यों द्वारा संस्थानों के साथ बातचीत करके किया गया है। अभी तक आई.आई.एम., आई.आई.टी., आई.एस.बी. और आई.आर.एम.ए. को इस योजना में शामिल करने पर विचार किया जा सकता है। भविष्य में, राज्यों की सिफारिशों के आधार पर सी.ई.सी. द्वारा योजना में शामिल करने के लिए अधिक आई.ओ.ई. पर विचार किया जा सकता है।

(vii) मंत्रालय आर.जी.एस.ए. के अंतर्गत प्रति प्रतिभागी प्रति दिन 7811 रुपये की लागत मानदंड पर इस तरह के प्रस्ताव पर विचार कर सकता है, जिसमें ऊपर उल्लिखित अभिसरण के अनुसार लागत प्रावधान होगा। आर.जी.एस.ए. राज्य हिस्सेदारी के अलावा राज्य बजट से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अंतर वित्तपोषण (यदि आवश्यक हो) का प्रावधान सुनिश्चित किया जाना है।

(viii) नेतृत्व/प्रबंधन विकास कार्यक्रम शुरू करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ अनुबंध-I में दिए गए विस्तृत अवधारणा नोट/परियोजना दस्तावेज को साझा करना।

1.6 सीईसी निर्देश :

• सीईसी ने ई.आर. और कार्यकर्ताओं के लिए प्रबंधन/नेतृत्व विकास कार्यक्रम की परियोजना के संबंध में पैरा 1.5 के तहत प्रस्ताव को मंजूरी दी।

• कार्यक्रम का उद्देश्य ई.आर. और कार्यकर्ताओं के नेतृत्व विकास पर है, इसलिए यह उचित होगा कि नामांकन आवेदनों और चयन प्रक्रिया के आधार पर हो, ताकि कार्यक्रम की कठोरता के साथ-साथ प्रशिक्षु की क्षेत्र स्तर पर वास्तविक कार्य में सीख को लागू करने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए सबसे उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन किया जा सके।

• पात्रता मानदंड प्रस्तावित होना चाहिए, अर्थात आयु समूह 25-50 वर्ष के बीच होना चाहिए, लेकिन समिति द्वारा यह सुझाव दिया गया कि यह अधिमानतः 25-40 वर्ष के बीच होना चाहिए।

<u>एजेंडा संख्या 2: आरजीएसए के केंद्रीय घटक से ई.आर. और पदाधिकारियों के लिए परिचयात्मक प्रबंधन/नेतृत्व विकास कार्यक्रम।</u>

2.1 पृष्ठभूमि: जैसा कि ऊपर एजेंडा-1 में उल्लेख किया गया है, मंत्रालय ने नेतृत्व क्षमता निर्माण के लिए ई.आर., अधिकारियों/कर्मचारियों और पी.आर.आई./पंचायतों के पदाधिकारियों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रमों की संकल्पना की है। नेतृत्व विकास कार्यक्रम का समन्वय राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। हालांकि, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कार्यक्रम के शुभारंभ से पहले, यह महसूस किया गया है कि मंत्रालय के मार्गदर्शन में 2023-24 के दौरान आरजीएसए के केंद्रीय घटक से ई.आर. और पदाधिकारियों के लिए परिचयात्मक प्रबंधन/नेतृत्व विकास कार्यक्रम आई.आई.एम.ए. में आयोजित किए जा सकते हैं।

2.2 **प्रस्ताव:**

(i) 2023-24 के दौरान आईआईएम-ए के माध्यम से आरजीएसए के केंद्रीय घटकों के तहत परिचयात्मक प्रबंधन/नेतृत्व विकास कार्यक्रम शुरू करना, जिसने 60 ई.आर. और कार्यकर्ताओं के लिए कार्यक्रम के लिए प्रति प्रतिभागी प्रति दिन सबसे कम लागत (7811/- रुपये) प्रस्तावित की है। अन्य संस्थानों की प्रस्तावित लागत ऊपर पैरा 1.3 में दी गई है।

(ii) आईआईएम-ए के माध्यम से परिचयात्मक प्रबंधन/नेतृत्व विकास कार्यक्रम का वित्तीय निहितार्थ इस प्रकार है:

प्रति सहभागिता प्रति दिन आवास सहित लागत	**5** दिनों के लिए प्रति भागीदारी लागत (रु. में)	**5** दिनों के लिए **60** प्रतिभागियों की लागत (रु. में)
(i) (i) आईआईएमए फीस और शिक्षण सामग्री सहित शैक्षणिक लागत = (रु.12,88,800/-) (ii) (ii) बोर्डिंग, क्लासरूम सहित लॉजिस्टिक्स लागत = (रु.7,84,500/-) (iii) (iii) अतिथि वक्ता लॉजिस्टिक्स परिवहन सहित = (रु.1,20,000/-) (iv) (iv) भोजन और पेय लागत = (रु.1,50,000/-) (v) **(vi)** कुल (कर-पूर्व) = रु.23,43,300/- (प्रति प्रतिभागी/दिन = रु.7811/-	Rs.39055/- (Rs.7811* 5 days)	Rs.23,43,300/- (Rs.39055* 60 participants)

नोट: उक्त कार्यक्रम के लिए प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन **7811/-** रुपये की लागत को बढ़ाकर **8000/-** रुपये प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन कर दिया गया है। तदनुसार**, 5** दिनों के लिए **60** प्रतिभागियों के लिए **24** लाख रुपये के लिए आईएफडी सहमति मांगी गई है। हालांकि**,** भुगतान वास्तविक आधार पर किया जाएगा**,** अर्थात प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन **7811/-** रुपये।

(iii) यह कार्यक्रम 30 अक्टूबर से 3 नवंबर 2023 के दौरान सीईओ जिला पंचायत और अध्यक्ष जिला पंचायत सहित 60 प्रतिभागियों के लिए निर्धारित किया जा सकता है।

(iv) प्रतिभागियों के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार है:

क.आयु समूह 25-50 वर्ष के बीच होना चाहिए।

ख. शैक्षणिक योग्यता किसी भी विषय में न्यूनतम स्नातक होनी चाहिए।

ग. कार्यक्रम के लिए नामित निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर) के लिए अगले चुनाव के लिए कम से कम 1 वर्ष का कार्यकाल बचा होना चाहिए।

घ. क्षेत्रीय भाषा/अंग्रेजी की बुनियादी समझ।

(v) अनुमोदन के बाद, हम नामांकन भेजने के लिए राज्य को लिख सकते हैं। प्रतिभागियों को अनुबंध-I में परियोजना दस्तावेज़ में उल्लिखित पात्रता और प्रोफ़ाइल के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नामांकित किया जाएगा।
(vi) केंद्रीय घटक से प्रारंभिक प्रबंधन/नेतृत्व विकास कार्यक्रम संचालित करने के लिए आईआईएमए के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(vii) आवश्यकतानुसार, निधियों की उपलब्धता पर विचार करते हुए, उपरोक्त प्रस्तावित लागत के आधार पर 2023-24 के दौरान केंद्रीय घटकों द्वारा अधिक परिचयात्मक कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं।

2.3 सीईसी का निर्णय: सीईसी ने पैरा **2.2** के अनुसार आरजीएसए के केंद्रीय घटक से ईआर और कार्यकर्ताओं के लिए परिचयात्मक प्रबंधन/नेतृत्व विकास कार्यक्रम के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

एजेंडा 3: 2023-24 की अवधि के लिए राष्ट्रमंडल स्थानीय सरकार फोरम (सीएलजीएफ) को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा सदस्यता शुल्क जारी करने का प्रस्ताव।

3.1 पृष्ठभूमि: राष्ट्रमंडल स्थानीय सरकार मंच (सीएलजीएफ) **1995** में स्थापित एक गैर-सरकारी मंच है जिसकी उपस्थिति राष्ट्रमंडल के **40** से अधिक देशों में है और इसके कई संगठन राष्ट्रीय और राज्य स्थानीय सरकार मंत्रालयों**,** स्थानीय सरकार संगठनों और व्यक्तिगत परिषदों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रमंडल देश सीएलजीएफ के सदस्य हैं और भारत (एमओपीआर) **2007** से सीएलजीएफ का सदस्य होने के नाते प्रति वर्ष **20** लाख रुपये के वार्षिक बजट के साथ वार्षिक सदस्यता शुल्क/अंशदान का भुगतान कर रहा है। सीएलजीएफ द्वारा प्रस्तुत चालान के अनुसार**,** चालू वित्तीय वर्ष **2023-24** के लिए सीएलजीएफ को एमओपीआर की सदस्यता शुल्क के भुगतान का प्रस्ताव **£15,880** है**,** जो **20** लाख रुपये के भीतर है।

3.2 सीईसी का निर्णय: सीईसी ने 2023-24 की अवधि के लिए राष्ट्रमंडल स्थानीय सरकार मंच के प्रस्ताव पर विचार किया और उसे 20 लाख रूपए की राशि का अनुमोदन दिया।

एजेंडा 4: 2023-24 के दौरान 182 पंचायत भवनों के अनुमोदन के लिए तेलंगाना से प्रस्ताव प्राप्त हुआ

4.1 प्रस्ताव: तेलंगाना राज्य सरकार ने अपने पत्र दिनांक 8 सितंबर, 2023 (अनुलग्नक-II) के माध्यम से सूचित किया कि वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए 279 ग्राम पंचायतों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा जारी की गई है और 31.03.2023 तक 182 जीपी का निर्माण एक स्पिल ओवर कार्य है और इसके लिए देय राशि 17.16 करोड़ है। तदनुसार, इन निष्पादन एजेंसियों के लिए भुगतान 17.16 करोड़ रुपये के भुगतान का अनुरोध कर रहा है।

4.2 पृष्ठभूमि: स्वीकृत पंचायत भवनों (पीबी) का विवरण और मंत्रालय के पास उपलब्ध प्रगति के साथ-साथ राज्य के पास उपलब्ध प्रारंभिक शेष राशि और 2018-19 से 2023-24 तक तेलंगाना राज्य को जारी की गई धनराशि निम्नानुसार है:

वर्ष	प्रारंभिक जमा	निधि जारी की गई	अनुमोदित पीबी	पूरे किए गए पीबी
2018-19	47.12 cr.	0.00	0	0
2019-20	30.67 cr.	0.00	738	0
2020-21	6.50 cr.	12.00	738	63
2021-22	6.91cr.	0.00	675	0
2022-23	23.86 cr.	0.00	675 (CO)	0
2023-24	11.90 cr.	0.00	100 (CO)*	--

* 2023-24 के दौरान, केवल 100 पीबी को कैरी ओवर के रूप में अनुमोदित किया गया (वित्त वर्ष 2020-21 से)

4.3 राज्य द्वारा अनुमोदन मांगा गया:

- चालू वित्तीय वर्ष (2023-24) के दौरान 675 (सी.ओ.) के निर्माण के प्रस्ताव के विरुद्ध सीईसी द्वारा 20 करोड़ रुपये की राशि से 100 पंचायत भवनों के निर्माण को मंजूरी दी गई है।

- राज्य ने राज्य द्वारा जारी प्रशासनिक मंजूरी को पूरा करने के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत 100 के बजाय 182 पीबी निर्माण की मंजूरी पर विचार करने का फिर से अनुरोध किया है। इसके लिए 20 करोड़ रुपये (100 पीबी) के बजाय 17.16 करोड़ रुपये की राशि की आवश्यकता है।

- 182 पंचायत भवनों का विवरण, उनकी स्वीकृति का विवरण और पूरा होने की स्थिति/प्रगति इस प्रकार है:

स्वीकृति की तिथि	स्वीकृत पीबी की संख्या *
15-Oct-20	118
9-Apr-21	48
7-Jul-21	10
25-Sep-21	1
22-Oct-21	3
18-Nov-21	1
5-Mar-22	1
कुल जीपी	**182**

* पीबी निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

4.4 पंचायती राज मंत्रालय की टिप्पणियां:

- 100 पीबी के लिए 20.00 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, अब राज्य केवल 17.16 करोड़ रुपये की राशि से 182 पीबी का निर्माण करेगा। राज्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में कोई वित्तीय निहितार्थ शामिल नहीं है, राज्य द्वारा प्रस्तावित कम लागत की गणना करते हुए योजना को संशोधित किया जाएगा।

4.5 सीईसी ने प्रस्ताव पर विचार किया और निम्नलिखित शर्तों के अधीन इसे मंजूरी दे दी:

- वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्य एएपी को पीबी निर्माण के तहत निधि को कम करके तदनुसार संशोधित किया जाएगा।
- राज्य द्वारा किसी अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जाएगी।
- राज्य इन 182 जीपी भवनों के लिए पाक्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और उन्हें इस वित्तीय वर्ष के भीतर पूरा करना सुनिश्चित करेगा।
- राज्य इन पंचायतों को जियो-टैग करेगा और इसकी सूचना मंत्रालय को देगा।

एजेंडा 5: राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एसआईआरडी एवं पीआर)-सह-राज्य पंचायती संसाधन केंद्र (एसपीआरसी) के निर्माण के लिए बिहार सरकार का प्रस्ताव।

5.1 प्रस्ताव: बिहार सरकार ने आरजीएसए (अनुलग्नक-III) की संशोधित योजना के तहत राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एसआईआरडी एवं पीआर)-सह-राज्य पंचायती संसाधन केंद्र (एसपीआरसी) के निर्माण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया। राज्य ने सूचित किया है कि विभिन्न हितधारकों को क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षण उपकरण, औजारों और प्रौद्योगिकी सक्षम प्रशिक्षण हॉल के संदर्भ में मजबूत संस्थागत क्षमता होना महत्वपूर्ण है। तदनुसार, आरजीएसए की संशोधित योजना के तहत बिहार के सारण जिले में 26.69 करोड़ रुपये के अनुमानित बजट के साथ एसआईआरडी-सह-एसपीआरसी की मंजूरी के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है और यह भी सूचित किया गया है कि भवन के लिए 4.47 करोड़ रुपये की भूमि की पहचान पहले ही कर ली गई है।

5.2 पृष्ठभूमि: वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान कार्यान्वित राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान (आरजीपीएसए) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य को एसपीआरसी के निर्माण की मंजूरी दी गई (कार्यवृत्त संलग्न-IV), जिसमें सैद्धांतिक रूप से रु. 1.00 करोड़ की स्वीकृति दी गई, तथापि, वर्ष 2013-14 के दौरान केवल प्रारंभिक राशि रु. 10.00 लाख को ही मंजूरी दी गई। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान समिति द्वारा शेष राशि रु. 90.00 लाख को मंजूरी दी गई **(कार्यवृत्त संलग्न-V)**। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2013-14 में राज्य को 15 डीपीआरसी के निर्माण की मंजूरी दी गई, क्योंकि वर्ष 2013-14 के दौरान कोई गतिविधि शुरू नहीं की गई थी, तदनुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य को कुल 20 डीपीआरसी के निर्माण की मंजूरी दी गई। हालाँकि, राज्य को अनुमोदित एसपीआरसी और डीपीआरसी के लिए कोई प्रगति रिपोर्ट नहीं दी गई।

5.3 पंचायती राज मंत्रालय की टिप्पणी: आरजीएसए की संशोधित योजना के तहत एसपीआरसी के निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है**,** तदनुसार**,** आरजीएसए के मानदंडों के अनुसार सीईसी के विचारार्थ निम्नलिखित प्रस्तुत किया गया है:

i) राज्य किराए के भवन पर अधिकतम **75,000/-** रुपये प्रति माह की दर से एसपीआरसी का प्रस्ताव कर सकता है। (या)

ii) आरजीएसए मानदंडों के अनुसार और सीईसी के अनुमोदन के अधीन**,** सारण जिले में डीपीआरसी भवन का निर्माण**,** बुनियादी उपकरणों के साथ अधिकतम **2** करोड़ रुपये तक।

5.4 सीईसी का निर्णय: सीईसी ने प्रस्ताव पर विचार किया और आरजीएसए मानदंडों के अनुसार **2** करोड़ रुपये की लागत से सारण जिले में डीपीआरसी भवन को मंजूरी दी।

एजेंडा 6: 2023-24 के दौरान 295 नए पंचायत भवनों के निर्माण के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार का प्रस्ताव।

6.1 प्रस्ताव: महाराष्ट्र राज्य सरकार को वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान निर्माण के लिए पहले से स्वीकृत 144 कैरी ओवर पंचायत भवनों के अतिरिक्त 295 नए ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण के लिए दिनांक 26/07/2023 के पत्र के माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। राज्य द्वारा यह सूचित किया गया कि प्रस्तावित 295 नए पंचायत भवनों में से 282 का निर्माण पेसा क्षेत्रों में और 13 का निर्माण नक्सल क्षेत्रों में किया जाएगा। आरजीएसए मानदंडों के अनुसार 295 जीपी भवन के लिए 59 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है (अर्थात 295x 20 लाख = 59 करोड़ रुपये)।

6.2 पृष्ठभूमि: वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, 337.21 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है। महाराष्ट्र राज्य को 144 कैरी ओवर पंचायत भवनों के निर्माण के लिए 28.80 करोड़ रुपये की राशि सहित 295 नए पंचायत भवनों के निर्माण का प्रस्ताव अलग से प्रस्तुत किया गया है और सचिव (पंचायत मंत्रालय) द्वारा इसकी स्वीकृति दी गई है।

6.3 सीईसी का निर्णय: सीईसी ने प्रस्ताव पर विचार किया और प्रस्ताव को पूर्वव्यापी स्वीकृति प्रदान की।

एजेंडा 7: गुजरात राज्य से संशोधित वार्षिक कार्य योजना (एएपी) प्राप्त हुई।

7.1 पृष्ठभूमि: गुजरात राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिसमें संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 108.81 करोड़ रुपये की राशि के लिए संशोधित वार्षिक कार्य योजना (एएपी) प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। गुजरात राज्य ने निम्नलिखित घटकों के संशोधन का अनुरोध किया था:

क. ब्लॉक पंचायत संसाधन केंद्र (बीपीआरसी) के तहत संस्थागत बुनियादी ढांचा: पुनः प्रस्तुत एएपी के अनुसार, **215** बीपीआरसी इकाइयां प्रस्तावित हैं, इसमें **33** जिला मुख्यालय ब्लॉक शामिल नहीं हैं। राज्य के **248** ब्लॉकों के लिए बीपीआरसी के लिए कर्मचारी प्रस्तावित हैं। बीपीआरसी इकाई + कर्मचारियों की कुल लागत **18.46** करोड़ रुपये है।

ख. मोबिलाइज़र सहायता: **14.95** करोड़ रुपये की लागत से पेसा क्षेत्रों में जनशक्ति के लिए समर्थन प्रस्तावित है। इसमें **12** महीनों के लिए **2678** पेसा जीपी में ग्राम सभा मोबिलाइज़र शामिल हैं।

ग. नवीनतम गतिविधियाँ: दो नवीन परियोजनाएँ, एक नागरिक सेवा वितरण और पंचायत विकास पोर्टल के लिए, जिनकी कुल लागत **2.5** करोड़ रुपये है, इस प्रकार कुल राशि **5** करोड़ रुपये है।

7.2 पंचायती राज मंत्रालय की टिप्पणियां

संशोधित प्रस्ताव का विवरण और उस पर टिप्पणियाँ निम्नानुसार हैं:

	विवरण	पिछली **AAP** राशि	संशोधित **AAP** राशि (करोड़ में)	टिप्पणी	संशोधित राशि टिप्पणी के अनुसार
1	ब्लॉक पंचायत संसाधन केंद्र (बीपीआरसी) इकाइयों के अंतर्गत संस्थागत बुनियादी ढांचा	-	18.46	राज्य ने शुरू में इस घटक के तहत कोई राशि प्रस्तावित नहीं की थी, लेकिन संशोधित एएपी के अनुसार, इसे 248 में से 215 बीपीआरसी इकाइयों को 20 रुपये प्रति वर्ग फीट (निर्मित क्षेत्र) की दर से किराए पर देने के लिए 18.46 करोड़ रुपये की राशि में अद्यतन किया गया है, जिसका अधिकतम किराया 30,000 रुपये प्रति माह है। इसके अतिरिक्त, बीपीआरसी के संकाय और रखरखाव पर 35,000 रुपये प्रति माह की दर से आवर्ती लागत भी शामिल है। इसमें ब्लॉक स्तर पर प्रस्तावित प्रशिक्षण का 1% भी शामिल है। संशोधित प्रस्ताव आरजीएसए के मानदंडों के अनुसार है। हालांकि, चालू वित्त वर्ष के दौरान 5 महीने बीत चुके हैं, तदनुसार यह अनुशंसा की जाती है कि 215 बीपीआरसी	Rs. 9.23 crore

				इकाइयों के लिए 6 महीने की अवधि के लिए 9.23 रुपये की राशि और संकाय और रखरखाव की लागत की सिफारिश की जाती है।	
2	पेसा जीपी क्षेत्रों के लिए मोबिलाइज़र समर्थन	5.31	14.95 (2678 पेसा जीपी @ 4000 रुपये प्रति माह)	राज्य ने शुरू में 5.31 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की थी, जिसे राज्य द्वारा संशोधित कर 2678 पेसा ग्राम पंचायतों के लिए 14.95 करोड़ रुपये कर दिया गया है। 14.95 करोड़ रुपये की राशि का संशोधित प्रस्ताव 12 महीने के लिए (2678 पेसा ग्राम पंचायतों के लिए 4000 रुपये प्रति माह की दर से) प्रस्तुत किया गया है। हालाँकि, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान	6.427 करोड़ रूपए
3	अभिनव गतिविधियाँ	-	5.0	संशोधित आरजीएसए फ्रेमवर्क 2022-23 से 2025-26 के अनुसार, प्रत्येक मामले में 5 करोड़ रुपये तक की नवीन गतिविधियाँ शामिल हैं। राज्य ने उसी प्रावधान का पालन किया है और 2.5 करोड़ रुपये की निम्नलिखित दो नवीन परियोजनाओं को शामिल करते हुए एएपी को फिर से प्रस्तुत किया है: 1. नागरिक सेवा वितरण। 2. पंचायत विकास पोर्टल। समिति के अनुसार इसे मंजूरी दे दी गई है।	समिति की दिनांक 27.09.23 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार अनुमोदन

7.3 सीईसी का निर्णय: सीईसी ने प्रस्ताव पर विचार किया और प्रस्ताव को पूर्वव्यापी स्वीकृति प्रदान की।

एजेंडा 8: वित्तीय वर्ष 2022-23 में उत्तराखंड राज्य द्वारा आयोजित प्रशिक्षणों के पुनर्मूल्यांकन का प्रस्ताव

8.1 पृष्ठभूमि: वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान स्वीकृत क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण गतिविधियों के लिए किए गए व्यय के विरुद्ध 15.67 करोड़ रुपये की राशि की वित्तीय स्वीकृति के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार से दिनांक 9 अक्टूबर 2023 के पत्र के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त हुआ। इस संबंध में, राज्य द्वारा दिए गए विवरण निम्नानुसार हैं:

• राज्य ने बताया है कि प्रशिक्षण पर कुल व्यय 61.01 करोड़ रुपये है, जिसमें से 45.34 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है, शेष 15.67 करोड़ रुपये की राशि एजेंसियों को भुगतान की जानी बाकी है।

• टीएमपी पोर्टल के अनुसार, वर्ष 2022-23 के लिए कुल 263896 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। वर्ष 2022-23 के दौरान 263896 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। 275229 प्रतिभागियों के प्रशिक्षण के लिए 72.237 स्वीकृत किए गए (तालिका 1 के अनुसार)। स्वीकृत सीबीएंडटी में से, राज्य ने 61.01 करोड़ रुपये के व्यय के साथ 269307 प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया है।

• इसके अलावा, राज्य ने प्रशिक्षण भागीदारों को 45.34 करोड़ रुपये का भुगतान किया है और शेष 15.67 करोड़ रुपये वर्ष 2022-23 के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को भुगतान किए जाने हैं। (तालिका 2 के अनुसार)।

तालिका 1: 2022-23 के लिए राज्य के लिए आरजीएसए के तहत कुल स्वीकृत क्षमता निर्माण

क्र.सं	घटक	राशि (करोड़ रूपए में)
1	सामान्य अभिमुखीकरण प्रशिक्षण	2.144
2	पंचायत विकास योजना	18.277
3	विषयगत प्रशिक्षण	18.697
4	विशेष प्रशिक्षण	21.361
5	कोई अन्य प्रशिक्षण	0.74
6	क्षमता निर्माण के अंतर्गत अन्य गतिविधि	11.07
	कुल	**72.237**

तालिका 2: सीबीएंडटी अनुमोदित और संचालित

		अनुमोदित सीबी एवं टी		सीबीएंडटी द्वारा आयोजित		
	घटक का नाम	सीईसी द्वारा अनुमोदित कुल प्रतिभागी	सीईसी स्वीकृत निधि	उपस्थित प्रतिभागियों की कुल संख्या	कुल भुगतान	शेष भुगतान
1	सामान्य अभिविन्यास प्रशिक्षण	4530	2.144	4194	0	1.99
2		79325	18.277	78810	12.33	3.43

3	विषयगत प्रशिक्षण	62161	18.697	61561	9.67	2.64
4	विशेष प्रशिक्षण	127843	21.361	123532	17.01	7.61
5	कोई अन्य प्रशिक्षण	1365	0.74	1310	0.26	
6	क्षमता निर्माण के तहत अन्य गतिविधि- मॉड्यूल विकास	-	11.07	-	6.07	-
	एक्सपोज़र विजिट पीएलसी, हैंड होल्डिंग समर्थन, मास्टर ट्रेनर					
	कुल	**275229**	**72.237**	**269307**	**45.34**	**15.67**

8.3 पंचायती राज मंत्रालय की टिप्पणियां:

- वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य सरकार ने 275229 स्वीकृत (अर्थात् 97.84% अनुमोदन के विरुद्ध) में से 269307 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया है तथा इस उम्मीद के साथ व्यय भी किया है कि राज्य को उसी वित्तीय वर्ष के दौरान दूसरी किस्त प्राप्त होगी। हालांकि, तदनुसार दूसरी किस्त जारी नहीं की गई है, कार्यान्वयन एजेंसियों को भुगतान देय हो गया है।

- तदनुसार, राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को देय भुगतानों को चुकाने के लिए 15.67 करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृति मांग रहा है।

- राज्य ने उपरोक्त तथ्यों को अपने ए.ए.पी. 2023-24 में शामिल नहीं किया है तथा अपने राज्य ए.ए.पी. (सी.ई.सी. बैठक के कार्यवृत्त अनुलग्नक-VI के रूप में संलग्न) के मूल्यांकन के लिए 4 मई, 2023 को आयोजित तीसरी सी.ई.सी. बैठक के दौरान सी.ई.सी. को सूचित भी नहीं किया है।

8.4 सीईसी का निर्णय: वर्ष **2022-23** के दौरान आयोजित प्रशिक्षण के लिए **15.67** करोड़ रुपये की राशि के पुनर्मूल्यांकन के बारे में उत्तराखंड राज्य के प्रस्ताव को समिति द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है। समिति के अध्यक्ष ने इस बात पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है कि राज्य ने न तो **2023-24** के लिए एएपी प्रस्तुत करते समय मंत्रालय को इसकी सूचना दी है और न ही **04** मई **2023** को आयोजित सीईसी की बैठक के दौरान**,** जहाँ **2023-24** के लिए राज्य एएपी का मूल्यांकन और अनुमोदन किया गया था। इसके अलावा**,** राज्य द्वारा आयोजित प्रशिक्षण की वास्तविक स्थिति की जाँच करने और उस पर कोई और निर्णय लेने के लिए वास्तविक तथ्यों के साथ मंत्रालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए राज्य का दौरा करने के लिए एमओपीआर की एक टीम को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।

एजेंडा 9: समिति द्वारा अनुमोदित अभिनव और आर्थिक विकास परियोजना का प्रशासनिक अनुमोदन।

9.1 पृष्ठभूमि: वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आरजीएसए की विभिन्न सीईसी बैठकों में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की वार्षिक कार्य योजना पर विचार किया गया है। हालांकि, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत अभिनव और आर्थिक विकास परियोजनाओं पर अतिरिक्त सचिव (एमओपीआर) की अध्यक्षता में आयोजित अलग बैठक में विचार किया गया और क्रमशः 30 जून, 2023 और 27 सितंबर, 2023 को आयोजित दो बैठकों में इन श्रेणियों के तहत विभिन्न राज्यों से 22 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। स्वीकृत परियोजना का विवरण अनुबंध-VII के रूप में संलग्न है।

9.2 अनुमोदन की मांग: सीईसी नीचे दिए गए विवरण के अनुसार राज्यों के संशोधित बजट सारांश को प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करने पर विचार कर सकता है:

(राशि करोड़ रूपए में)

क्र. सं	**राज्य**	**पिछला स्वीकृत बजट**	**पीबी/नवप्रवर्तन एवं आर्थिक परियोजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत राशि**	**संशोधित बजट** *
1	असम	215.15	1.50	216.70
2	छत्तीसगढ़	64.14	2.00	66.21
3	झारखंड	128.76	2.00	130.82
4	महाराष्ट्र	337.21	7.08 (नवीन एवं आर्थिक परियोजनाएं) 59 (295 नए पीबी का निर्माण)	406.12
5	हिमाचल प्रदेश	95.19	4.00	99.32
6	गुजरात	74.54	0.72 करोड़ (आर्थिक परियोजना), 6.427 करोड़ (ग्राम सभा मोबिलाइजर पेसा जीपी), 3.87 करोड़ (215 बीपीआरसी किराए की बिल्डिंग), 0.16 करोड़ (प्रशिक्षण इंफ्रा की किराये पर लेने के लिए 1%) 5.20 करोड़ (248 बीपीआरसी आवर्ती)	88.17
7	मध्यप्रदेश	559.48	2.00	561.54
8	राजस्थान	139.96	1.265	141.275
9	तेलंगाना	269.44	2.00	**268.58#**
10	त्रिपुरा	40.225	0.20	40.435
11	सिक्किम	26.26	3.12	29.47
12	उत्तराखंड	244.96	6.93	257.1
13	पश्चिम बंगाल	137.1	2.5 (1.9 + 0.60)	139.65

*संशोधित बजट में नवीन एवं आर्थिक विकास परियोजनाओं के लिए स्वीकृत लागत में वृद्धि शामिल है तथा तदनुसार आईईसी एवं पीएमयू लागत में भी मामूली संशोधन किया गया है।

पंचायत भवन के निर्माण के लिए बजट में कटौती के कारण संशोधित बजट का आकार घटा दिया गया है।

9.3 उपरोक्त राज्यों का संशोधित बजट सारांश अनुलग्नक-*VIII* में है। सीईसी का निर्णय: सीईसी ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा उसे मंजूरी दी।

समिति के अध्यक्ष द्वारा समापन टिप्पणी:

- पेसा क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा का आयोजन, जीपीडीपी तैयारी, पीडीआई तैयारी आदि सहित विभिन्न गतिविधियों की प्रगति की बारीकी से निगरानी की जानी चाहिए और इसके लिए मोबिलाइज़र और हैंडहोल्डिंग सहायता प्रदान की जानी चाहिए।
- पेसा क्षेत्रों में जीपी की सफलता की कहानियों को एवी फॉर्म में प्रलेखित किया जाना चाहिए और अन्य राज्यों को प्रसारित किया जाना चाहिए।
- संशोधित आरजीएसए के तहत पेसा राज्यों की वार्षिक कार्य योजना की सावधानीपूर्वक जांच करना और यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि पेसा राज्यों से संबंधित गतिविधियों को राज्यों की वार्षिक कार्य योजना में शामिल किया जाए।
- सीबी डिवीजन को योजना के तहत समय पर धनराशि जारी करने को सुनिश्चित करने के लिए जनवरी से मार्च, 2024 के महीने तक वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एएपी पर विचार करने के लिए सीईसी बैठक आयोजित करने की योजना बनानी चाहिए।

अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक संपन्न हुई।

अनुबंध-VIII

असम राज्य की स्वीकृत आम आदमी पार्टी का संशोधित बजट सारांश 2023-24

(राशि करोड़ रूपए में)

क्र. सं	घटक	सीईसी द्वारा अनुमोदित
1.	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण	
क.	सामान्य अभिमुखीकरण प्रशिक्षण (0 प्रतिभागी)/ पुनश्चर्या कार्यक्रम प्रशिक्षण (7600 ई.आर./पी.एफ.)	3.45
ख	पंचायत विकास योजना प्रशिक्षण (176025 प्रतिभागी)	35.745
ग.	विषयगत प्रशिक्षण (45000 प्रतिभागी)	20.25
घ.	विशेष प्रशिक्षण (55070 प्रतिभागी)	19.55
ङ.	कोई अन्य प्रशिक्षण (39120 प्रतिभागी)	10.285
च. छ.	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ (5 टी.एन.ए., 4 प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास, 5 प्रशिक्षण सामग्री का विकास, एक्सपोजर विजिट (राज्य के भीतर 2000 प्रतिभागी और राज्यों के बाहर 1900 प्रतिभागी), 4 पी.एल.सी., 1 सी.बी. का मूल्यांकन, विषयगत क्षेत्रों में 54 एम.टी., जी.पी.एस. को सहायता-सहायता-700)	7.84
	सी.बी.एंड.टी. की कुल	**97.13**
2.	संस्थागत अवसंरचना	
क.	किराए के भवन में एस.पी.आर.सी.	0.00
ख	डी.पी.आर.सी. निर्माण (12 = 5 नए और 7 कैरी ओवर-एक्टिविटी वित्त वर्ष 2022-23)	24.00
ग.	जिला स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना और उपकरण किराए पर लेना	0.00
घ.	किराए के भवन में बीपीआरसी (वित्त वर्ष 2022-23 में 5 कैरी ओवर-एक्टिविटी)	0.18
ङ.	ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना और उपकरण किराए पर लेना	0.00
	संस्थागत अवसंरचना का कुल	**24.18**
3.	संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)	
क.	एसपीआरसी आवर्ती लागत	0.84
ख	डीपीआरसी आवर्ती लागत (18डीपीआरसी)	3.607
ग.	बीपीआरसी आवर्ती लागत (5बीपीआरसी)	0.21
	कुल (आवर्ती लागत)	**4.66**
4.	सैटकॉम या आईपी-आधारित तकनीक के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा सुविधा (सैटकॉम स्टूडियो में रखरखाव/तकनीकी जनशक्ति)	**1.36**
5.	पंचायत अवसंरचना (पीआई) के लिए सहायता	
क.	पीबी का निर्माण (171 नए)	34.20
ख	पीबी का निर्माण (261 पीबी-वित्त वर्ष 2022-23 में कैरी ओवर)	26.10
ग.	सीएससी का सह-स्थान (वित्त वर्ष 2021-22 में 175 कैरी ओवर)	3.50
	पीआई का कुल	**63.80**

6.	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)	
क.	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू)	0.264
ख	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (डीपीएमयू)	3.468
ग.	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (बीपीएमयू)	10.51
	पीएमयू का कुल योग	**14.24**
7.	पंचायतों का ई-सक्षमीकरण	
	कंप्यूटर और सहायक उपकरण (प्रिंटर, स्कैनर और यूपीएस) 500 कैरी-ओवर गतिविधि वित्त वर्ष 2021-22	**2.50**
8.	अन्य घटक (कैरी ओवर सहित, यदि कोई हो)	
	आर्थिक विकास और आय वृद्धि परियोजनाएँ: नई हथकरघा क्लस्टर लुप्त पारंपरिक परिधानों का विकास (पायलट आधार पर परियोजना को एक जिले में लागू किया जाएगा)	**1.5**
	योग	**209.37**
9.	आईईसी (स्वीकृत योजना आकार का 2% तक)	4.19
10.	पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)	3.14
	कुल योजना	**216.70**

छत्तीसगढ़ राज्य की स्वीकृत आम आदमी पार्टी का संशोधित बजट सारांश 2023-24

क्र.सं	घटक	सीईसी द्वारा अनुमोदित
1	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण	
क.	जीपीडीपी/बीपीडीपी/डीपीडीपी के लिए प्रशिक्षण (85504 प्रतिभागी)	7.72
ख.	विषयगत प्रशिक्षण - सतत विकास का स्थानीयकरण लक्ष्य (एसडीजी)/क्षेत्र सक्षमकर्ता प्रशिक्षण (61659 प्रतिभागी)	5.58
ग.	विशेष प्रशिक्षण (23685 प्रतिभागी)	3.83
घ.	पीईएसए पर प्रशिक्षण (12088 प्रतिभागी)	1.34
ङ.	कोई अन्य प्रशिक्षण (11948 प्रतिभागी)	0.96
	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ	
च.	राज्य के भीतर एक्सपोजर विजिट (2000 प्रतिभागी)	1.40
छ.	राज्य के बाहर एक्सपोजर विजिट (300 प्रतिभागी)	0.75
ज.	प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास	0.10
झ.	प्रशिक्षण सामग्री का विकास	0.20
	सीबीएंडटी का योग	**21.88**
2	संस्थागत अवसंरचना (निर्माण)	
क.	1डीपीआरसी का निर्माण (नया)	2.00
ख.	डीपीआरसी का निर्माण (5डीपीआरसी का कैरीओवर @40 लाख/डीपीआरसी)*	2.00
	संस्थागत अवसंरचना का योग	**4.00**
3	संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)	
क.	एसपीआरसी आवर्ती लागत	0.84
ख.	डीपीआरसी आवर्ती लागत (27 डीपीआरसी के लिए)	5.39
ग.	बीपीआरसी आवर्ती लागत (146 बीपीआरसी के लिए)	6.11
	कुल (आवर्ती लागत)	**12.34**
4	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)	
क.	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (1 एसपीएमयू)	0.26
ख.	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (33 डीपीएमयू के लिए)	3.56
ग.	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (146 बीपीएमयू के लिए)	6.98
	पीएमयू का कुल	**10.80**
5	पंचायतों का ई-सक्षमीकरण	
क.	600 ग्राम पंचायतों के लिए कंप्यूटर और सहायक उपकरण (प्रिंटर, स्कैनर और यूपीएस)	3.00
	ई-सक्षमीकरण का कुल	**3.00**
6	सैटकॉम में मैनपावर सहायता	**1.78**
7	पेसा क्षेत्र के लिए विशेष सहायता	**8.19**
8	आर्थिक विकास और आय वृद्धि के लिए परियोजना आधारित सहायता (प्रत्येक 500 किलोवाट की सौर ऊर्जा इकाई की स्थापना)	**2.00**
	योग	**63.99**

9	आईईसी (स्वीकृत योजना आकार का 2% तक)	1.27
10	पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)	0.95
	कुल	**66.21**

झारखंड राज्य की स्वीकृत आम आदमी पार्टी का संशोधित बजट सारांश 2023-24

(राशि करोड रूपए में)

क्र.सं	घटक	सीईसी द्वारा अनुमोदित
1.	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण	
क.	मूल अभिविन्यास/सामान्य अभिविन्यास (59792 प्रतिभागी)	21.0
ख.	ईआर/पीएफ के लिए पुनश्चर्या कार्यक्रम प्रशिक्षण (4541 प्रतिभागी)	3.40
ग.	जीपीडीपी/बीपीडीपी/डीपीडीपी के लिए प्रशिक्षण (79915 प्रतिभागी)	21.03
घ.	विषयगत प्रशिक्षण - सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का स्थानीयकरण/क्षेत्र सक्षमकर्ता प्रशिक्षण (24225 प्रतिभागी)	10.78
ङ.	विशेष प्रशिक्षण (28160 प्रतिभागी)	7.49
च.	कोई अन्य प्रशिक्षण (5205 प्रतिभागी)	0.52
छ.	**क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ**	
i	जीपीडीपी के लिए सहायता प्रदान करना (360 जीपी)	0.72
ii	राज्य के भीतर एक्सपोजर विजिट (2000 प्रतिभागी)	1.40
iii	राज्य के बाहर एक्सपोजर विजिट (1200 प्रतिभागी)	3.60
iv	पंचायत शिक्षण केंद्र (10 पीएलसी)	0.70
v	प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास	0.10
vi	प्रशिक्षण सामग्री का विकास	0.20
vii	प्रशिक्षण आवश्यकता आकलन	0.10
viii	विषयगत क्षेत्र में सीबी	0.10
ix	एमटी का मूल्यांकन 528 मीट्रिक टन)	0.66
	सीबीएंडटी का कुल	**71.85**
2.	**संस्थागत बुनियादी ढांचे की भर्ती**	
क.	जिला स्तर पर प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे की भर्ती (जिला स्तर पर प्रशिक्षण का 1%)	0.37
ख.	ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे की भर्ती (ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण का 1%)	0.37
	संस्थागत बुनियादी ढांचे की कुल	**0.74**
3.	संस्थागत बुनियादी ढांचे (आवर्ती लागत)	
क.	एसपीआरसी आवर्ती लागत (1 एसपीआरसी)	0.84
ख.	डीपीआरसी आवर्ती लागत (24 डीपीआरसी के लिए)	4.75
ग.	बीपीआरसी आवर्ती लागत (264 डीपीआरसी के लिए	11.08
	कुल (आवर्ती लागत)	**16.67**
4.	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)	
क.	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (1 एसपीएमयू)	0.26
ख.	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (24डीपीएमयू)	2.59
ग.	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (264 बीपीएमयू)	12.35
	पीएमयू का कुल	**15.20**
5	पंचायत बुनियादी ढांचे के लिए समर्थन (पीआई)	
क.	पंचायत भवन की मरम्मत (18 संख्या)	0.51
ख.	पंचायत भवन के साथ सीएससी का सह-स्थान (113 संख्या)	2.46
	पंचायत बुनियादी ढांचे की कुल (पीआई)	**2.97**

6	**सैटकॉम या आईपी के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा सुविधा आधारित प्रौद्योगिकी**	
a	**एक स्टूडियो और 50 एसआईटी (कैरीओवर गतिविधियों के रूप में)**	**1.75**
	दूरस्थ शिक्षा सुविधा की कुल संख्या	**1.75**
7.	पेसा क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को मजबूत करने के लिए विशेष सहायता9 राज्य स्तर (1), जिला समन्वयक (16), ब्लॉक समन्वयक (135), ग्राम सभा मोबिलाइज़र (2066) और 414 ग्राम सभाओं का उन्मुखीकरण।)	**15.23**
8	आर्थिक विकास और आय वृद्धि के लिए परियोजना आधारित सहायता (झारखंड के गुमला, लोहरदगा और पश्चिमी सिंहभूम जिलों में पारंपरिक शिल्प कुटीर उद्योग को पुनर्जीवित करना)	**2.00**
	कुल	**126.41**
9	आईईसी (स्वीकृत योजना आकार का 2% तक)	**2.52**
10	पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)	**1.89**
	कुल योजना	**130.82**

महाराष्ट्र राज्य की स्वीकृत आम आदमी पार्टी का संशोधित बजट सारांश 2023-24

(राशि करोड़ रूपए में)

क्र. सं	**घटक**	**सीईसी द्वारा अनुमोदित**
1.	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण	
क.	सामान्य अभिमुखीकरण (116030 प्रतिभागी)/पुनश्चर्या कार्यक्रम प्रशिक्षण (11000 ई.आर.जी.पी.)।	48.48
ख.	पंचायत विकास योजना (856974 प्रतिभागी)।	48.58
ग.	विषयगत प्रशिक्षण (325006 प्रतिभागी)।	93.74
घ.	विशेष प्रशिक्षण (154362 प्रतिभागी)।	37.78
ङ.	कोई अन्य प्रशिक्षण (26305 प्रतिभागी)।	7.25
च. छ.	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ (टी.एन.ए., प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास, प्रशिक्षण सामग्री का विकास, एक्सपोजर विजिट (3040 के अंदर और 520 के बाहर), 45 पी.एल.सी., सी.बी.एंड.टी. का मूल्यांकन)।	9.73
	सीबीएंडटी का योग	**245.57**
2.	संस्थागत अवसंरचना	
क.	डीपीआरसी निर्माण (2 कैरी ओवर)	0.70
ख.	जिला स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना और उपकरणों की भर्ती	0.17
ग.	ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना और उपकरणों की भर्ती	1.82
	संस्थागत अवसंरचना का योग	**2.69**
3.	संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)	
क.	एसपीआरसी आवर्ती लागत	0.84
ख.	डीपीआरसी आवर्ती लागत (6 डीपीआरसी)	1.20
	कुल (आवर्ती लागत)	**2.04**
4.	सैटकॉम या आईपी-आधारित प्रौद्योगिकी के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा सुविधा	**3.06**
5.	पंचायत अवसंरचना (पीआई) के लिए सहायता	
क.	पीबी का निर्माण (144 कैरी ओवर और 295 नए)	87.80
	पीआई का योग	**87.80**
6.	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)	
क.	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (1 एसपीएमयू)	0.27
ख.	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (34 डीपीएमयू)	3.67
ग.	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (351 बीपीएमयू)	16.86
	पीएमयू का योग	**20.80**
7.	**पीईएसए क्षेत्र में ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए विशेष सहायता**	**20.76**
8.	**अन्य घटक (यदि कोई हो तो कैरी ओवर सहित)**	
क.	अभिनव गतिविधि (वित्त वर्ष 2021-22 से जारी): 'ग्रामीण लोगों के उत्थान के लिए अभिनव सामाजिक-आर्थिक समाधान'।समुदाय-आधारित सौर सुखाने की परियोजना की स्थापना'। दो गांवों अर्थात् दुधानी (135 kWp) और वेप (180	0.60

	kWp) का सौरीकरण	
ख.	नवीन गतिविधि (वित्त वर्ष 2021-22 से आगे): 'सड़क निर्माण के लिए के 31 सड़क निर्माण प्रौद्योगिकी'।	2.00
ग.	**अभिनव गतिविधि (वित्त वर्ष 2023-24 से नई): 'महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी तालुका के एक गांव में मातृ ई-लाइब्रेरी की स्थापना'।**	2.00
घ.	आर्थिक विकास और आय संवर्धन गतिविधि (वित्त वर्ष 2023-24 से नई): 'पलासखेड़ा गांव, ताल. जामनेर, जिला. जलगांव, महाराष्ट्र के लिए कृषि उपज के लिए समुदाय आधारित सौर सुखाने परियोजना की स्थापना'।	3.08
ड.	दो गांवों अर्थात् दुधानी (135 kWp) और वेप (180 kWp) का सौरीकरण	2.00
	अन्य घटकों का योग	**9.68**
	उप योग	**392.4**
9.	आईईसी (स्वीकृत योजना आकार का 2% तक)	**7.85**
10.	पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)	**5.87**
	कुल योजना (सीईसी द्वारा अनुमोदित)	**406.12**

हिमाचल प्रदेश राज्य की अनुमोदित आम आदमी पार्टी का संशोधित बजट सारांश 2023-24

(राशि करोड़ रूपए में)

क्र.सं	घटक	सीईसी द्वारा अनुमोदित
1	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण	
क	पुनश्चर्या प्रशिक्षण (8482 प्रतिभागी)	1.77
ख	पंचायत विकास योजना (40670 प्रतिभागी)	7.20
ग	विषयगत प्रशिक्षण - (41259 प्रतिभागी)	12.38
घ	विशेष प्रशिक्षण (26493 प्रतिभागी)	4.46
ङ	कोई अन्य प्रशिक्षण (22670 प्रतिभागी)	3.44
च	जीपीडीपी के लिए सहायता (180 जीपी)	0.36
छ	राज्य के भीतर एक्सपोजर विजिट (7428 प्रतिभागी)	5.20
ज	राज्य के बाहर एक्सपोजर विजिट (1080 प्रतिभागी)	2.70
झ	अतिरिक्त एमटी (45 अतिरिक्त मास्टर ट्रेनर)	0.06
	सीबीएंडटी का योग	**37.57**
2	संस्थागत अवसंरचना	
क	जिला स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना एवं उपकरणों की भर्ती (जिला स्तर पर कुल प्रशिक्षण का 1%)	0.02
	संस्थागत अवसंरचना का योग	**0.02**
3	संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)	
क	एसपीआरसी आवर्ती लागत	0.78
ख	डीपीआरसी आवर्ती लागत	0.32
	कुल (आवर्ती लागत)	**1.1**
4	पंचायत अवसंरचना (पीआई) के लिए सहायता	
क	पीबी का निर्माण या आगे ले जाना (101 पीबी आगे ले जाना)	20.20
ख	सीएससी या कैरी ओवर (536 सीएससी कैरी ओवर)	26.80
	पीआई का योग	**47.00**
5	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)	
क	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू)	0.26
ख	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (डीपीएमयू)	0.52
ग	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (बीपीएमयू)	1.46
	पीएमयू का योग	**2.24**
6	पीईएसए क्षेत्र में ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए विशेष सहायता	**0.38**
7	आर्थिक और नवाचार परियोजना (1 आर्थिक परियोजना आगे बढ़ाई गई)	**2.66**
8	सैटकॉम/आईपी आधारित प्रौद्योगिकी	**1.00**
9	कुल 2 नई आर्थिक और आय वृद्धि परियोजनाएं	**4.00**
	उप योग	**95.97**
10	आईईसी (स्वीकृत योजना आकार का 2% तक)	1.91
11	पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)	1.44

	कुल योजना	**99.32**

गुजरात राज्य की स्वीकृत आम आदमी पार्टी का संशोधित बजट सारांश 2023-24

(राशि करोड़ रूपए में)

क्र.सं	घटक	सीईसी द्वारा अनुमोदित
1	प्रशिक्षण घटक	
क.	ईआर के लिए सामान्य अभिविन्यास/प्रेरण प्रशिक्षण (16800 प्रतिभागी)	3.36
ख.	ईआर के लिए पुनश्चर्या कार्यक्रम प्रशिक्षण (32637 प्रतिभागी)	3.26
ग.	जीपीडीपी/बीपीडीपी/डीपीडीपी के लिए प्रशिक्षण (83118 प्रतिभागी)	8.40
घ.	विषयगत प्रशिक्षण - सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का स्थानीयकरण (86568 प्रतिभागी)	8.66
ङ.	विशेष प्रशिक्षण (22161 प्रतिभागी)	4.37
च.	कोई अन्य प्रशिक्षण (31851 प्रतिभागी)	3.19
	क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के तहत अन्य गतिविधियाँ (500 जीपी के लिए हैंडहोल्डिंग समर्थन, राज्य के भीतर एक्सपोजर यात्रा - 14575, राज्य के बाहर एक्सपोजर यात्रा - 1000, 33 पीएलसी)	10.91
	कुल सीबी एंड टी	**42.15**
2.	संस्थागत बुनियादी ढाँचा	
क.	किराए के भवन में एसपीआरसी	0.09
ख.	किराए के भवन में 33 डीपीआरसी	1.98
ग.	किराए के भवन में 215 बीपीआरसी @ रु. 30,000 प्रति माह (6 महीने के लिए)	**3.87**
घ.	ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे की भर्ती (ब्लॉक स्तर पर प्रस्तावित प्रशिक्षण का 1%)	0.16
ङ.	जिला स्तर पर प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे और उपकरणों की भर्ती (जिला स्तर पर प्रस्तावित प्रशिक्षण का 1%)	0.0023
	कुल संस्थागत बुनियादी ढांचा	**6.1**
3	**संस्थागत बुनियादी ढांचा (आवर्ती लागत)**	
क.	**1 एसपीआरसी आवर्ती लागत**	0.31
ख.	33 डीपीआरसी आवर्ती लागत	3.36
ग.	248 बीपीआरसी आवर्ती लागत @ रु. 35,000 प्रति माह (6 महीने के लिए)	5.20
	कुल संस्थागत बुनियादी ढांचा (आवर्ती लागत)	**8.87**
4.	**सैटकॉम या आईपी आधारित तकनीक के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा सुविधा**	
क.	तकनीक का कोई वैकल्पिक तरीका	1.00
	दूरस्थ शिक्षा सुविधा की कुल राशि	**1.00**
5.	पंचायत बुनियादी ढांचे (पीआई) के लिए समर्थन	
क.	15 जीपी के लिए नए पंचायत भवन का निर्माण @0.14 करोड़	2.10
	पंचायत बुनियादी ढांचे की कुल राशि	**2.10**
4.	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)	
क.	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू) -	0.26
ख.	33 डीपीएमयू के लिए जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (डीपीएमयू)	3.56
ग.	248 बीपीएमयू के लिए ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (बीपीएमयू)	11.90
	कुल पीएमयू	**15.72**
5.	**पेसा क्षेत्र में ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए विशेष समर्थन**	

क.	पेसा क्षेत्र (1 इकाई) के लिए राज्य स्तरीय समन्वयक हेतु मानदेय @ रु. 60,000/- प्रति माह / पेसा राज्य (रु. 7.20 लाख प्रति वर्ष)	0.072
ख.	पेसा क्षेत्र के लिए 1 जिला स्तरीय समन्वयक हेतु मानदेय @ (13 पेसा जिलों के लिए) रु. 30,000/- प्रति माह प्रति जिला (रु. 3.60 लाख प्रति वर्ष)	0.468
ग.	पेसा ब्लॉक में 1 पेसा समन्वयक का मानदेय (52 पेसा तालुका समन्वयक) @ रु. 25,000/- प्रति माह प्रति आईपी/ब्लॉक (रु. 3.00 लाख प्रति वर्ष)	1.56
घ.	1 ग्राम सभा मोबिलाइजर/पेसा जीपी का मानदेय (2678 पेसा जीपी के लिए) @ रु. 4,000/- प्रति माह प्रति पेसा जीपी (रु. 0.48 लाख प्रति वर्ष) (6 महीने के लिए)	6.427
	पेसा क्षेत्र के लिए विशेष सहायता की कुल राशि	**8.527**
6.	अन्य घटक	
क.	नवाचार परियोजना - पंचायत सूचना और शिकायत निवारण प्रणाली (PIGRS) ऐप (जनशक्ति सहायता और प्रशिक्षण शुल्क)	0.72
	अन्य घटकों का योग	**0.72**
	उप-योग	**85.187**
7	आईईसी (2%)	**1.70**
8	पीएमयू (1.5%)	**1.28**
	कुल योजना (सीईसी द्वारा अनुमोदित)	**88.17**

मध्य प्रदेश राज्य की स्वीकृत आम आदमी पार्टी का संशोधित बजट सारांश 2023-24

(राशि करोड़ रूपए में)

क्र. सं	घटक	सीईसी द्वारा अनुमोदित
1.	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण	
a.	सामान्य अभिमुखीकरण प्रशिक्षण (364892 प्रतिभागी)/ पुनश्चर्या कार्यक्रम	156.55
b.	प्रशिक्षण (395550ईआर/पीएफ)	98.07
c.	पंचायत विकास योजना प्रशिक्षण (1047864प्रतिभागी)	88.70
d.	विषयगत प्रशिक्षण (418562 प्रतिभागी)	39.49
E	विशेष प्रशिक्षण (298050 प्रतिभागी)	47.89
f.	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ (टीएनए, 25 प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास, 10 प्रशिक्षण सामग्री का विकास, एक्सपोजर विजिट (राज्य के भीतर 4000 प्रतिभागी और राज्यों के बाहर 2500 प्रतिभागी), 10 पीएलसी, 4 सीबी का मूल्यांकन, विषयगत क्षेत्रों में 2817 एमटी, जीपी को हैंडहोल्डिंग सहायता-1150)	14.97
	सीबीएंडटी का कुल योग	**445.67**
2.	संस्थागत अवसंरचना	
a.	किराए के भवन में एसपीआरसी	0.00
b.	किराए के भवन में डीपीआरसी (30, जिसमें 20 किराए के भवन में शामिल हैं PESA और 10 अधिकांश आंतरिक जिलों में)	1.80
c.	जिला स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना एवं उपकरण किराये पर लेना	0.05
d.	किराये के भवन में बीपीआरसी (89 पीईएसए और 61 अधिकतम आंतरिक ब्लॉक सहित 150)	5.40
e.	ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना और उपकरण किराये पर लेना	2.78
	संस्थागत बुनियादी ढांचे की कुल संख्या	**10.03**
3.	ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना और उपकरण किराए पर लेना	
a.	SPRC आवर्ती लागत	0.84
b.	DPRC आवर्ती लागत (30 DPRC नए)	6.00
c.	BPRC आवर्ती लागत (150 BPRC)	6.30
	कुल (आवर्ती लागत)	**13.14**
4.	सैटकॉम या आईपी-आधारित प्रौद्योगिकी (कैरी ओवर) के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा सुविधा	**5.53**
5.	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)	
a.	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू)	0.264
b.	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (52 डीपीएमयू)	5.62
c.	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (313बीपीएमयू)	15.02
	PMU का योग	**20.90**
6.	पेसा क्षेत्र में ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए विशेष सहायता	**36.29****
7.	अन्य घटक (यदि कोई हो तो उसे शामिल करते हुए)	
a	आर्थिक विकास और आय वृद्धि: आगे बढ़ाना मध्य प्रदेश के गांवों में पर्यटन आधारित सूक्ष्म उद्यमों के माध्यम से आजीविका के अवसर पैदा करना	6.00

b	आर्थिक विकास और आय वृद्धि: मनरेगा अज्जेविका भाऊखेड़ी एकिकृत पार्क का आगे बढ़ना	3.00
c	आर्थिक विकास और आय वृद्धि: मध्य प्रदेश के गांवों में कला और शिल्प को बढ़ावा देने के माध्यम से नई जिम्मेदार स्मारिका (पायलट आधार पर 3 जिलों में परियोजना लागू की जाएगी)	2.00
	अन्य घटकों का योग	**11.00**
	योग	**542.56**
8.	आईईसी (स्वीकृत योजना आकार का 2% तक)	10.85
9.	पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)	8.13
	कुल योजना	**561.54**

** राज्य ने हाल ही में पेसा अधिनियम तैयार किया है और इस संबंध में अपवाद स्वरूप *1040* क्लस्टर स्तरीय उन्मुखीकरण के स्थान पर सभी *5211* पेसा ग्राम पंचायतों को ग्राम सभा उन्मुखीकरण के लिए विचार किया गया है। जिसके लिए सीईसी द्वारा प्रति पेसा ग्राम पंचायत *15000* रुपये (*@15000X5211)* स्वीकृत किए गए हैं।

राजस्थान राज्य की स्वीकृत आम आदमी पार्टी का संशोधित बजट सारांश 2023-24

(राशि करोड़ रूपए में**)**

क्र.सं	घटक	एमओपीआर द्वारा अनुशंसित राशि
1	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण	
क.	पुनश्चर्या प्रशिक्षण (131594 प्रतिभागी)	20.807
ख.	जीपीडीपी/बीपीडीपी/डीपीडीपी के लिए प्रशिक्षण (67184 प्रतिभागी)	19.245
ग.	विषयगत प्रशिक्षण - सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का स्थानीयकरण/क्षेत्र सक्षमकर्ता प्रशिक्षण (76812 प्रतिभागी)	14.711
घ.	पीईएसए प्रशिक्षण (23382 प्रतिभागी)	3.823
ङ.	कोई अन्य प्रशिक्षण (10266 प्रतिभागी)	6.58
	कुल सीबीएंडटी	**65.166**
2	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ	
क.	शैक्षणिक संस्थानों द्वारा जीपीडीपी निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना	0.99
ख.	(प्रति जीपी/वर्ष 20,000/- रुपये तक) 495 इकाई	0.10
ग.	प्रशिक्षण आवश्यकता आकलन (प्रति राज्य 10 लाख तक/2 वर्ष में एक बार)	0.10
घ.	प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास	0.20
ङ.	(प्रति राज्य 10 लाख तक/2 वर्ष में एक बार)	1.617
च.	फिल्म और इलेक्ट्रॉनिक सामग्री सहित प्रशिक्षण सामग्री का विकास	3.50
छ.	राज्य के भीतर एक्सपोजर विजिट (4 दिनों के लिए 1155 प्रतिभागी)	4.62
ज.	एक्सपोजर विजिट राज्य के बाहर (7 दिनों के लिए 1000 प्रतिभागी)	0.10
झ.	पंचायत लर्निंग सेंटर (पीएलसी) का विकास (प्रत्येक पीएलसी के लिए 7,00,000/- रुपये तक) 66 पीएलसी (प्रति जिला 2)	1.498
ञ.	क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण गतिविधियों का मूल्यांकन (प्रति राज्य 10 लाख तक/ 2 वर्ष में एक बार)	1.760
	एसडीजी के स्थानीयकरण के लिए विषयगत क्षेत्रों में अतिरिक्त प्रशिक्षक/मास्टर प्रशिक्षक 2842 प्रतिभागी)	**14.485**
3	साथिन, महिला सभा, ग्राम सभा, बाल सभा के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम	
क.	जिला स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना और उपकरणों की भर्ती	0.22
ख.	ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना और उपकरणों की भर्ती	0.43
	संस्थागत अवसंरचना का योग	**0.65**
4	संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)	
क.	एसपीआरसी आवर्ती लागत	0.84
ख.	डीपीआरसी आवर्ती लागत (33 डीपीआरसी के लिए)	2.97
ग.	बीपीआरसी आवर्ती लागत (352 बीपीआरसी के लिए)	12.32
	कुल (आवर्ती लागत)	**16.13**
5	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)	
क.	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू)	0.26
ख.	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (33 डीपीएमयू)	3.23

ग.	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन (352 बीपीएमयू)	12.705
	पीएमयू का योग	**16.195**
6	सैटकॉम या आईपी आधारित तकनीक आदि के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा सुविधा	
	राज्य स्तर पर स्टूडियो (1.00 करोड़ रुपये तक)	1.00
	दूरस्थ शिक्षा का योग	**1.00**
7	पंचायत अवसंरचना	
क.	नए पंचायत भवन का निर्माण (32 प्रगतिरत इकाई के लिए)	5.77
ख.	जीपी मरम्मत (97 प्रगतिरत इकाई के लिए)	3.82
ग.	पंचायत भवन के साथ सीएससी का सह-स्थान (78 प्रगतिरत इकाई के लिए)	2.82
	पंचायत अवसंरचना का योग	**12.41**
8	विशेष पेसा क्षेत्र के लिए सहायता	**9.204**
9	अन्य घटक	
क.	पारिस्थितिकी पर्यटन परियोजना - संस्कृति को संरक्षित करने, ग्राम पंचायत के लिए वैकल्पिक आजीविका के अवसर उत्पन्न करने के लिए: 14 बी.डी., पंचायत समिति	**1.265**
क्र.सं	घटक	एमओपीआर द्वारा अनुशंसित राशि
	बीकानेर जिले में खाजूवाला	
	योग	**136.505**
11	आईईसी (स्वीकृत योजना आकार का 2% तक)	2.73
12	पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)	2.04
	कुल योजना	**141.275**

तेलंगाना राज्य की स्वीकृत आम आदमी पार्टी का संशोधित बजट सारांश 2023-24

(राशि करोड़ रूपए में**)**

क्र.सं	घटक	सीईसी द्वारा अनुमोदित
1.	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण:	
क.	रिफ्रेशर कार्यक्रम प्रशिक्षण (4880 ई.आर.जी.पी.)	1.50
ख.	पंचायत विकास योजना (390916 प्रतिभागी)	83.99
ग.	विषयगत प्रशिक्षण (288954 प्रतिभागी)	74.48
घ.	विशेष प्रशिक्षण (8292 प्रतिभागी)	4.90
ङ.	कोई अन्य प्रशिक्षण (25951 प्रतिभागी)	9.43
च.	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ (जी.पी.डी.पी. निर्माण के लिए सहायता, एक्सपोजर विजिट (1650 के अंदर और 1516 के बाहर), 9 पी.एल.सी., 250 अतिरिक्त प्रशिक्षक/एम.टी.)।	9.13
	सीबीएंडटी का योग	**183.43**
2.	संस्थागत अवसंरचना:	
क.	किराए के भवन में बीपीआरसी की स्थापना का प्रावधान (23 नए)	0.82
ख.	ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना और उपकरणों की किराये पर व्यवस्था	1.38
	संस्थागत अवसंरचना का योग	**2.20**
3.	संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत):	
क.	एसपीआरसी आवर्ती लागत	0.80
ख.	डीपीआरसी आवर्ती लागत (32 डीपीआरसी)	1.80
ग.	बीपीआरसी आवर्ती लागत (23 बीपीआरसी)	0.96
	कुल (आवर्ती लागत)	**3.56**
4.	सैटकॉम या आईपी-आधारित प्रौद्योगिकी के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा सुविधा(टीएसआईआरडी में 1 स्टूडियो/ब्लॉक स्तर पर 108 एसआईटी)	**2.62**
5.	पंचायत अवसंरचना (पीआई) के लिए सहायता:	
क.	राज्य द्वारा प्रस्तावित पीबी (वित्त वर्ष 2020-21 से 182 कैरी ओवर)* का निर्माण	17.16
ख.	सीएससी का पंचायत भवन के साथ सह-स्थान (वित्त वर्ष 2020-21 से 60 कैरी ओवर)	3.00
	पीआई का योग	**23.00**
6.	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू):	
क.	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (1 एसपीएमयू)	0.26
ख.	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (32 डीपीएमयू)	3.45
ग.	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (539 बीपीएमयू)	25.87
	पीएमयू का कुल योग	**29.59**
7.	**पीएमयू का कुल योग**	
	कंप्यूटर और सहायक उपकरण (प्रिंटर, स्कैनर और यूपीएस) (वित्त वर्ष 2020-21 से 1812 कैरी ओवर)	**9.06**

	ई-सक्षमीकरण का कुल योग	**9.06**
8.	पेसा क्षेत्र में ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए विशेष सहायता	**6.88**
9.	आर्थिक विकास और आय वृद्धि के लिए परियोजना आधारित सहायता (डिजिटल लाइब्रेरी सह अंग्रेजी लर्निंग लैब का निर्माण)	**2.0**
	योग	**259.50**
10.	आईईसी (स्वीकृत योजना आकार का 2% तक)	**5.19**
11.	पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)	**3.89**
	कुल योजना (सीईसी द्वारा अनुमोदित)	**268.58**

त्रिपुरा राज्य की स्वीकृत आम आदमी पार्टी का संशोधित बजट सारांश 2023-24

(राशि करोड़ रूपए में**)**

क्र.सं	घटक	पंचायती राज मंत्रालय द्वारा अनुशंसित राशि
1	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण	
क.	पुनश्चर्या प्रशिक्षण (6620 प्रतिभागी)	2.003
ख.	जीपीडीपी/बीपीडीपी/डीपीडीपी के लिए प्रशिक्षण (18262 प्रतिभागी)	1.21
ग.	विषयगत प्रशिक्षण - सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का स्थानीयकरण/क्षेत्र सक्षमकर्ता प्रशिक्षण (69316 प्रतिभागी)	7.167
घ.	विशेष प्रशिक्षण प्रशिक्षण (15276 प्रतिभागी)	1.53
ङ.	कोई अन्य प्रशिक्षण (9287 प्रतिभागी)	0.928
	कुल सीबीएंडटी	**12.84**
2	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ	
क.	शैक्षणिक संस्थानों द्वारा जीपीडीपी निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना (प्रति जीपी/वर्ष 20,000/- रुपये तक) 480 इकाई	0.96
ख.	प्रशिक्षण आवश्यकता आकलन (प्रति राज्य 10 लाख तक/2 वर्ष में एक बार)	0.10
ग.	प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास	0.05
घ.	(प्रति राज्य 10 लाख तक/2 वर्ष में एक बार)	0.10
ङ.	फिल्म एवं इलेक्ट्रॉनिक सामग्री सहित प्रशिक्षण सामग्री का विकास	2.10
च.	राज्य के भीतर एक्सपोजर विजिट (3 दिनों के लिए 2000 प्रतिभागी)	1.75
छ.	राज्य के बाहर एक्सपोजर विजिट राज्य (7 दिनों के लिए 500 प्रतिभागी)	0.56
ज.	पंचायत लर्निंग सेंटर (पीएलसी) का विकास (प्रत्येक पीएलसी के लिए 7,00,000/- रुपये तक) (8 पीएलसी)	0.10
झ.	क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण गतिविधियों का मूल्यांकन (प्रति राज्य 10 लाख तक/ 2 वर्ष में एक बार)	0.06
	एसडीजी के स्थानीयकरण के लिए विषयगत क्षेत्रों में अतिरिक्त प्रशिक्षक/मास्टर प्रशिक्षक (80 प्रतिभागी)	**5.78**
3	सीबीएंडटी की कुल संख्या	
क.	डीपीआरसी निर्माण (2 सीओ)	4.00
4	संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)	
क.	एसपीआरसी आवर्ती लागत	0.84
ख.	डीपीआरसी आवर्ती लागत (20 लाख /डीपीआरसी/वर्ष) (2 डीपीआरसी)	0.40
ग.	जिला स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना और उपकरणों की भर्ती (जिला स्तर पर कुल प्रशिक्षण की लागत का 1%) (4 केंद्र)	0.12
घ.	बीपीआरसी आवर्ती लागत (12 महीने के लिए 58 बीपीआरसी के लिए)	2.088
ङ.	ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना और उपकरणों की भर्ती (ब्लॉक स्तर पर कुल प्रशिक्षण की लागत का 1%)	0.024
	कुल (आवर्ती लागत)	**7.472**
5	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)	
क.	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू)	0.26
ख.	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (8 डीपीएमयू)	0.864

ग.	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन (58 बीपीएमयू)	2.784
	पीएमयू की कुल संख्या	**3.908**
6	सैटकॉम या आईपी आधारित तकनीक आदि के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा सुविधा	
क.	राज्य स्तर पर स्टूडियो (1.00 करोड़ रुपये तक) 3 डीपीआरसी और 1 पंचायत निदेशालय और 1 एसपीआरसी में वीसी रूम	1.00
ख.	सैटेलाइट इंटरएक्टिव टर्मिनल (एसआईटी) (1.5 लाख रुपये प्रति एसआईटी) (1 एसपीआरसी और 4 डीपीआरसी के लिए)	0.09
	दूरस्थ शिक्षा की कुल संख्या	**1.09**
7	पंचायत अवसंरचना	
क्र.सं		एमओपीआर द्वारा अनुशंसित राशि
क.	घटक	3.99
ख.	नए पंचायत भवन का निर्माण (13 नए, 29 सी.ओ.) (2.60 करोड़ (नए) 1.39 करोड़ (सी.ओ.)	1.20
	पंचायत भवन के साथ सी.एस.सी. का सह-स्थान (24 इकाई के लिए)	**5.19**
8	पंचायतों का ई-सक्षमीकरण	
क.	कंप्यूटर और सहायक उपकरण (प्रिंटर, स्कैनर और यूपीएस) (पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए 50,000/- रुपये प्रति ग्राम पंचायत) (475 (सीओ)	2.375
ख.	पहले चरण में 04 पीआरटीआई के लिए 02 स्मार्ट स्क्रीन, कुल 08 इकाइयां	0.22
	ई-सक्षमीकरण की कुल संख्या	**2.595**
9	अन्य घटक	
क.	आरडी (पंचायत विभाग) के लिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) की स्थापना	**0.20**
	उप-योग	**39.075**
10	आईईसी (स्वीकृत योजना आकार का 2% तक)	0.78
11	पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)	0.58
	कुल योजना	**40.435**

सिक्किम राज्य के अनुमोदित आम आदमी पार्टी का संशोधित बजट सारांश 2023-24

(राशि करोड़ रूपए में**)**

क्र.सं	घटक	सीईसी द्वारा अनुशंसित राशि
1.	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण	
क.	सामान्य अभिमुखीकरण प्रशिक्षण (1231 प्रतिभागी)/ पुनश्चर्या कार्यक्रम प्रशिक्षण	0.19
ख.	पंचायत विकास योजना प्रशिक्षण (3143 प्रतिभागी)	1.42
ग.	विषयगत प्रशिक्षण (2080 प्रतिभागी)	0.64
घ.	विशेष प्रशिक्षण (16796 प्रतिभागी)	4.54
ङ.	कोई अन्य प्रशिक्षण (10679 प्रतिभागी)	2.70
च.	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ हैंडहोल्डिंग सहायता 199 जीपी,	5.38
	टीएनए, प्रशिक्षण सामग्री, एक्सपोजर विजिट (796 के अंदर और 597 के बाहर), 15 पीएलसी, सीबीएंडटी का मूल्यांकन, अतिरिक्त एमटी	**14.87**
2.	सीबीएंडटी का योग	
क.	संस्थागत अवसंरचना	3.00
	डीपीआरसी का निर्माण (1 पाकयोंग जिले में @2 करोड़ और 1 गंगटोक जिले में @1 करोड़	**3.00**
3.	संस्थागत अवसंरचना का योग	
क.	संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)	0.80
ख.	एसपीआरसी आवर्ती लागत	0.40
ग.	डीपीआरसी आवर्ती लागत (6 डीपीआरसी)	0.02
	जिला स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना की भर्ती	**1.22**
4.	कुल (आवर्ती लागत)	
क.	पंचायत अवसंरचना (पीआई) के लिए सहायता	4.00
ख.	पीबी का निर्माण (20 नए जीपी भवन के लिए)	1.50
	सीएससी का पंचायत भवन के साथ सह-स्थान (30 सीएससी सह-स्थान के लिए 10 कैरी ओवर के साथ)	**5.50**
5.	पीआई का योग	
क.	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)	0.16
ख.	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू)	0.37
	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (6 डीपीएमयू के लिए)	**0.53**
6.	पीएमयू का योग	
क.	50 नए के लिए कंप्यूटर और सहायक उपकरण (प्रिंटर, स्कैनर और यूपीएस)	0.25
	कुल ई-सक्षमता	**0.25**
7.	अन्य घटक (यदि कोई हो तो कैरीओवर सहित)	
क.	नवाचार परियोजना - 50 बाल परामर्श केंद्रों की स्थापना	1.50
ख.	नवाचार परियोजना - लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस)	1.00
ग.	आर्थिक परियोजना - डीपीआरसी में सौर ऊर्जा स्थापना	0.62

	कुल अन्य घटक	**3.12**
	उप-योग	**28.49**
7.	आईईसी (स्वीकृत योजना आकार का 2% तक)	0.56
8.	पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)	0.42
	कुल योजना	**29.47**

उत्तराखंड राज्य की स्वीकृत आम आदमी पार्टी का संशोधित बजट सारांश 2023-24

(राशि करोड़ रूपए में**)**

क्र.सं	घटक	सीईसी द्वारा अनुमोदित राशि
1	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण	
क.	सामान्य अभिमुखीकरण प्रशिक्षण (हरिद्वार जिले के लिए 4680 प्रतिभागी)	1.40
ख.	पंचायत विकास योजना प्रशिक्षण (116756 प्रतिभागी)	24.05
ग.	विषयगत प्रशिक्षण (116756 प्रतिभागी)	47.59
घ.	विशेष प्रशिक्षण (263079 प्रतिभागी)	41.44
ङ.	कोई अन्य प्रशिक्षण (194990 प्रतिभागी)	25.49
च.	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ (टीएनए, प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास, प्रशिक्षण सामग्री का विकास, मूल्यांकन अध्ययन एक्सपोजर विजिट (राज्य के भीतर 2500 प्रतिभागी और राज्यों के बाहर 10000 प्रतिभागी), 17 पीएलसी, जीपी को सहायता प्रदान करना - 195)	29.71
	सीबीएंडटी का कुल योग	**169.69**
2	संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)	
क	एसपीआरसी आवर्ती लागत	0.84
	कुल (आवर्ती लागत)	**0.84**
3	सैटकॉम या आईपी-आधारित प्रौद्योगिकी के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा सुविधा (1 स्टूडियो और 95 एसआईटी)	**2.43**
4	पंचायत अवसंरचना (पीआई) के लिए सहायता	
क.	पीबी का निर्माण (100 नए)	20.00
ख.	पीबी का निर्माण (80 कैरीओवर गतिविधि)	19.00
ग.	सीएससी का सह-स्थान (100 नए)	5.00
घ.	सीएससी का सह-स्थान (80 कैरीओवर गतिविधि)	5.00
	कुल पीआई	**49.00**
5	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)	
क.	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू)	0.26
ख.	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (13डीपीएमयू)	1.40
ग.	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (95बीपीएमयू)	4.56
	पीएमयू की कुल संख्या	6.22
6	पंचायतों का ई-सक्षमीकरण (500 नए)	**2.50**
7	अन्य घटक (कैरीओवर सहित, यदि कोई हो)	
क.	नवाचार का समर्थन (कैरीओवर गतिविधि) - 95 कॉम्पैक्टर	2.00
ख.	आर्थिक गतिविधि और आय वृद्धि (कैरीओवर गतिविधि) - कैफेटेरिया के साथ पार्किंग और शौचालय के साथ प्रतीक्षा लाउंज)	4.00
ग.	आर्थिक विकास - पोर्टेबल वैक्यूम आधारित स्वचालित कचरा बीनने वाली मशीन	11.74
	कुल अन्य घटक	**17.74**
	उप-योग	**248.42**
8	आईईसी (स्वीकृत योजना आकार का 2% तक)	4.96
9	पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)	3.72

	कुल योजना	**257.1**

पश्चिम बंगाल राज्य की स्वीकृत आम आदमी पार्टी का संशोधित बजट सारांश 2023-24

(राशि करोड़ रूपए में**)**

क्र.सं	घटक	सीईसी द्वारा अनुमोदित राशि
1	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण	
क.	सामान्य अभिमुखीकरण (95859 प्रतिभागी)	27.05
ख.	पंचायत विकास योजना (1,38,680 प्रतिभागी)	14.06
ग.	विषयगत प्रशिक्षण - (37,288 प्रतिभागी)	6.80
घ.	विशेष प्रशिक्षण (19,067 प्रतिभागी)	4.04
ङ.	कोई अन्य प्रशिक्षण (34837 प्रतिभागी)	7.16
च.	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ (टीएनए, प्रशिक्षण मॉड्यूल और सामग्री का विकास, ईआर का एक्सपोजर दौरा - अंदर: 230, ईआर का एक्सपोजर दौरा - बाहर -375; पीएलसी-2, सीबीएंडटी का मूल्यांकन, अतिरिक्त प्रशिक्षक: -888, संकाय विकास: 66)	3.47
	कुल सीबीएंडटी	**62.58**
2	संस्थागत अवसंरचना	
क.	डीपीआरसी निर्माण (केवल पूर्वोत्तर राज्यों के लिए)/ किराए की इमारत) (5 नई डीपीआरसी)	10.00
ख.	किराए की इमारत में डीपीआरसी (5 डीपीआरसी)	0.30
ग.	जिला स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना और उपकरणों की भर्ती (जिला स्तर पर कुल प्रशिक्षण का 1%)	0.06
घ.	ब्लॉक में प्रशिक्षण अवसंरचना और उपकरणों की भर्ती स्तर	0.14
2	संस्थागत अवसंरचना का योग	**10.5**
3	संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)	
क.	एसपीआरसी आवर्ती लागत	0.84
ख.	डीपीआरसी आवर्ती लागत	5.19
ग.	बीपीआरसी आवर्ती लागत	14.48
3	कुल (आवर्ती लागत)	**20.51**
4	पंचायत अवसंरचना (पीआई) के लिए सहायता	
घ.	पीबी का निर्माण (35 नए पीबी)	7.00
	पीआई का योग	**7.00**
5	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)	
क.	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू)	0.22
ख.	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (डीपीएमयू)	2.24
ग.	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (बीपीएमयू)	7.69
5	पीएमयू का योग	**10.15**
6	आर्थिक और नवाचार परियोजना (2 आर्थिक परियोजनाएं और 1 नवाचार परियोजना आगे बढ़ाई गई)	**2.81**
7	अन्य घटक (5 नई नवाचार परियोजनाएं)	**1.90**
क.	पंचायतों के लिए लोक शिकायत निवारण प्रणाली (पीजीआरएस)(नई	**0.19**

ख.	पश्चिम बंगाल पंचायत भर्ती प्रबंधन प्रणाली	**0.11**
ग.	अन्य घटक (5 नई नवाचार परियोजनाएं)	**0.36**
घ.	जीपी स्मार्ट स्वास्थ्य क्लिनिक	**0.81**
ङ.	पश्चिम बंगाल पंचायत प्रबंधन प्रणाली [डब्ल्यूबीपीएमएस]	**0.43**
8	सैटकॉम/आईपी आधारित प्रौद्योगिकी	**19.52**
	योग	**134.97**
9	आईईसी (स्वीकृत योजना आकार का 2% तक)	2.66
10	पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)	2.02
	कुल योजना	**139.65**

अनुबंध क

17 अक्टूबर**, 2023** को **9**वीं मंजिल**,** जीवन भारती बिल्डिंग**,** नई दिल्ली में आयोजित पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) की **5**वीं बैठक के प्रतिभागियों की सूची

पंचायती राज मंत्रालय

क्र.सं	नाम	पद
1	श्री सुनील कुमार	सचिव
2	डॉ. चन्द्रशेखर कुमार	अपर सचिव
3	श्री विकास आनंद	संयुक्त सचिव
4	सुश्री ममता वर्मा	संयुक्त सचिव
5	श्री रमित मौर्य	निदेशक
6	श्री राम प्रताप	निदेशक(आईएफडी)
7	श्री पंकज कुमार	अवर सचिव
8	श्री प्रदीप	अनुभाग अधिकारी
9	सुश्री नीलिमा गोयल	अनुभाग अधिकारी
10	श्री सोनू कुमार	सहायक अनुभाग अधिकारी
11	डॉ पी पी बालन	सलाहकार
12	सुश्री प्रज्ञा सिंह	सलाहकार
13	डॉ. मोहम्मद तौकीर खान	सलाहकार
14	सुश्री पियाली रॉय	सलाहकार
15	श्री सत्येन्द्र झा	सलाहकार
16	सुश्री प्रियंका दत्ता	सलाहकार
17	श्री सचिन चंद्रा	सलाहकार
18	श्री अभिषेक कुमार	सलाहकार
19	सुश्री स्मिता दयाल	सलाहकार
20	श्री कुमार परिमल	सलाहकार

संबंधित मंत्रालय की सूची

क्र.सं	**नाम एवं पदनाम**	**मंत्रालय/संगठन/राज्य**
1	श्री कैलाश सांखला	ग्रामीण विकास मंत्रालय
2	श्री सेवक पैनल, यूएस (पीएमएजेएवाई)	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
3	श्री अमित भारद्वाज	नीति आयोग
4	श्री एस.के. सुनियन (अमेरिका)	शिक्षा अल्पसंख्यक
5	सुश्री किरीट (एएसओ)	शिक्षा मंत्रालय